

Certificate No. - 2023/2002/0003

Certified Date : 21/09/2023

Department of School Education & Literacy

Goverment of Jharkhand

*Under Section 18 of Right to Education Act 2009*

Certificate of Recognition

is being awarded to

RPS PUBLIC SCHOOL, JAPLA of Palamu District w.e.f 21/09/2023

Sig.  
District Superintendent of Education  
Palamu

Sig.  
District Committee  
Palamu

This certificate is online generated from <https://ite.jharkhand.gov.in> and does not require signature.

प्रमाण पत्र संख्या - 2023/2002/0003

प्रमाणित दिनांक - 21/09/2023

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग  
झारखण्ड सरकार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ के अनुच्छेद १८ के तहत  
मान्यता का प्रमाण पत्र  
से सम्पादित किया जा रहा है


RPS PUBLIC SCHOOL, JAPLA जिला प्रभावी तिथि 21/09/2023

ह/-  
जिला शिक्षा अधीक्षक  
Palamu


ह/-  
उपायुक्त  
Palamu

यह कंप्यूटर जनित प्रमाण पत्र <https://ite.jharkhand.gov.in> से निकाला गया है एवं हस्ताक्षर की अवधिकता नहीं है।

RPS Public School, Japla

  
Principal

RPS Public School, Japla


  
Manager


### **Condition of Recognition**

Recognition of this School is granted under provision specified in section 18 of The Right of Children to Free and compulsory Education Act, 2009 & Jharkhand Right of Children to Free and compulsory Education Rules 2011 , provided that the school will ensure that the provisions given in The Right of Children to Free and compulsory Education Act, 2009, Jharkhand Right of Children to Free and compulsory Education Rules 2011, Department notification no. 629 dated 25.04.2019 and other directions issued from time to time by the department are strictly adhered to.

### **मान्यता की शर्त**

इस स्कूल की मान्यता नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 में निर्दिष्ट प्रावधान के तहत दी गई है और झारखंड नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 के लिए बच्चों का अधिकार है, बशर्ते कि स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि प्रावधानों में दिए गए प्रावधान नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, झारखंड बच्चों का नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम 2011, विभाग की अधिसूचना संख्या 629 दिनांक 25.04.2019 और विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

RPS Public School, Japl a  
  
Principal

RPS Public School, Japl a  
  
Manager



## जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू



पलामू समाहरणालय परिसर (सी) ब्लॉक, मेदिनीनगर- 822101 ई-मेल:-mdn.palamau@gmail.com

पत्रांक-.../५३७..../

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक,  
पलामू।

सेवा में,

प्राचार्य,  
आर०पी०एस० पब्लिक स्कूल जपला,  
पलामू।

ठिषय:-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार वियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक 20.01.2022 को वर्ग 01 से 08 तक के RTE के तहत मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन कार्यालय में समर्पित की गई एवं झारखण्ड सरकार के वेबसाईट <https:// rte.jharkhand.gov.in> पर आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया। जिसमें विद्यालय से संबंधित सम्पूर्ण डाटा इन्ड्री की गई। जिसका सत्यापन करने हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू के द्वारा तीन सदस्यीय जांच दल गठित की गई। जांच दल के द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति, पलामू के द्वारा दिनांक 05.09.2023 को बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में आर०पी०एस० पब्लिक स्कूल जपला, पलामू शैक्षणिक सत्र 2023-24 से कक्षा 01 से 08 तक के लिए मान्यता प्रदान करने की सूचना दी जाती है -

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है -

- इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/ संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विहित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार वियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णपेण पालन करेगा।
- विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंधित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- उक्त कंडिका-3 में उल्लेखित बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधो के तहत् प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
- विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग ऐस्ट नहीं लेगा।
- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन किया जायेगा।


RPS Public School, Japi a


Principal

RPS Public School, Japi a'

Manager


7. विद्यालय निम्नांकित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा -
- (i) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रांतभिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में अनुच्छीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा।
  - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक दण्ड नहीं दिया जाएगा।
  - (iii) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रदेश बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
  - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहताएँ के अनुरूप किया जाएगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहता, 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, पांच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहताएँ अर्जित कर लेंगे।
  - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और
  - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में वियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाएं रखेगा।
10. विद्यालय के अन्तिम विरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं -
- (i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 2 एकड़ (8093 वर्ग मीटर)
  - (ii) कुल निर्मित क्षेत्र - 5894 वर्ग मीटर
  - (iii) क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल - 5852 वर्ग मीटर
  - (iv) कक्षाओं की संख्या - 12
  - (v) प्राध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडागार के लिए कक्ष - 03
  - (vi) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय- हाँ (बालक-08/ बालिका-05)
  - (vii) पेयजल सुविधा - हाँ
  - (viii) मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई (निजी विद्यालय)
  - (ix) बाधारहित पहुंच - हाँ
  - (x) अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूल उपस्कर्तों/ पुस्तकालय की उपलब्धता- हाँ
11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
13. शूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।


RPS Public School, Japla  
  
Principal


RPS Public School, Japla  
  
Manager

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।
15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा विदेशक/ जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थालीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सात् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।
16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक व्यास द्वारा चलाया जायेगा। सासोईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।
17. चाहरदिवारी, सी०सी०टी०वी०, रनिंग वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग, अचिनशमन एवं तड़ित चालक होना चाहिए।
18. आर०टी०ई० मानक के अनुरूप प्राथमिक कक्षा के लिए व्यूनतम इंटर व समतुल्य योग्यता के साथ दो वर्षीय डी.एल.ई.डी./समतुल्य प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। Teacher Eligibility Test अनिवार्य है। शिक्षक अहर्ता के संबंध में राज्य सरकार/एन०सी०टी०ई० द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक प्रभावी होंगे।
- कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए व्यूनतम रनातक व समतुल्य के साथ बी०एड० समतुल्य डिग्री प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। Teacher Eligibility Test वांछित है। शिक्षक अहर्ता के संबंध में राज्य सरकार/एन०सी०टी०ई० द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक प्रभावी होंगे।
19. आर०टी०ई० नियमावली के अनुसार सभी विद्यालयों के लिए कम से कम सात सदस्यों का एक अलग प्रबंध समिति का गठित होना अनिवार्य है। प्रबंध समिति में शिक्षक एवं अभिभावक प्रतिनिधि होना अनिवार्य है।
20. नामांकन प्राप्तियाँ  
छात्र : शिक्षक अनुपात  
(क) प्राथमिक विद्यालय :-  
(i) यदि 120 से कम छात्र हो तो 30 छात्र पर एक शिक्षक  
(ii) यदि 121 से अधिक एवं 200 के मध्य हो तो कम से कम पांच शिक्षक  
(iii) यदि 200 से अधिक छात्र संख्या होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक न हो।  
(ख) मध्य विद्यालय :-  
(i) वर्ग 6 से 8 तक के लिए 35 छात्र पर एक शिक्षक।  
आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 2023/2002/0003 है।

विंश्वासभाजन

  
जिला शिक्षा अधीक्षक,  
पलमू  
21/09/2023

RPS Public School, Japi a<sup>r</sup>  
  
Principal

RPS Public School, Japi a<sup>r</sup>  
  
Manager